मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-7-0006/2022/सात/शा.7/46 भोपाल, दिनांक 2/फरवरी/2023

प्रति

कलेक्टर्स (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषयः मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 के संबंध में।

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत बने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2022 में संशोधन किये गये हैं, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 जनवरी, 2023 (असाधारण) क्रमांक 19 में प्रकाशित किये गये यह नियम वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in तथा राजस्व विभाग की वेबसाइट www.revenue.mp.gov.in पर उपलब्ध है। (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है)

कृपया अधीनस्त अधिकारी उक्त अधिसूचना को वेबसाइट से डाउनलोड कर अध्ययन करने तथा तद्नुसार यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

अवर सचिव 02.2.23
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक एफ-7-0006/2022/सात/शा.7/47 भोपाल, दिनांक 2/फरवरी/2023

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल।
2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव 02.2.23.
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2023—माघ 4, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2023

क्र. 1377-21-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जनवरी, 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

-2-

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २०२३

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२३

[दिनांक २३ जनवरी, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ जनवरी, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

धारा १२९ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा १२९ में, उपधारा (१), उपधारा (२) तथा उपधारा (३) में, शब्द "राजस्व निरीक्षक" के पश्चात्, शब्द "या पटवारी" अन्त:स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2023

क्र. 1377-21-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२२ (क्रमांक १ सन् २०२३) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 1 OF 2023

THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (SECOND AMENDMENT) ACT, 2022

[Received the assent of the Governor on the 23rd January, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th January, 2023.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-third year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Second Amendment) Act, 2022.

Amendment of Section 129.

2. In Section 129 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), in sub-section (1), sub-section (2) and sub-section (3), after the words "Revenue Inspector", the words "or Patwari" shall be inserted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.